न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 1410-I-17

श्री ... द्वारा आज दि. 22-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती गंगाबाई प्रजापति पत्नि श्री गोपालप्रसाद प्रजापति
2. अनीता प्रजापति आत्मजा श्री गोपालप्रसाद प्रजापति
दोनों निवासी शंकराचार्यवार्ड,कॉलेज के सामने,कंदेली नरसिंहपुर...
...पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

दिलीप जाट आत्मज स्व.श्री कन्हैयालाल जाट
निवासी बॉयपॉस रोड नरसिंहपुर... ....उत्तरवादी/आवेदक

पुनरीक्षण याचिका आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नरसिंहपुर (म.प्र.) के द्वारा रा.प्र.क्रं.32अ/63 सन 2013–2014 आवेदक दिलीप जाट विरूद्ध गंगाबाई आपत्तिकर्ता/अनावेदक के प्रकरण में नायब तहसीलदार नरसिंहपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.04.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर निम्न आधारों के साथ साथ अन्य आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :–

मामले के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता मौजा नरसिंहपुर नं.बं.278 तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 230/2 में से पंजीकृत बैनामा दिनांक 21.03.1996 के जरिये दो पृथक पृथक बैनामों से पुनरीक्षणकर्तागण गंगाबाई व अनीता प्रजापति के द्वारा क्रय किये गये थे और उक्त भूमि क्रय करने के उपरांत पुनरीक्षणकर्तागण ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया था,जो कि बटांक होकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 230/3 रकवा 0.839 हे.अनीता प्रजापति के नाम से एवं ख 230/4 रकवा 3.920 हेक्टर श्रीमती गंगाबाई के नाम से भूमिस्वामी मालिक काबिजदार के वर्ष 1996 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है एवं राजस्व नक्शा भी बटांक होकर तभी से दर्ज चले आ रहे हे।

2. यह कि उत्तरवादी/आवेदक दिलीप जाट के द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नरसिहपुर के समक्ष धारा 115,116 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1410–एक/2017 जिला नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरसिंहपुर के प्र0 कं0 32/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–4–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा पूर्व में हुई आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात पुनः आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार ने आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश पर किया जाना उचित माना है। बार–बार आपत्ति प्रस्तुत किये जाने से आवेदक की आपत्ति का निराकरण किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। आवेदक अपना पक्ष तहसील न्यायालय में रखकर गुण–दोषों पर निराकरण कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	